समस्त पत्र–व्यवहार "कुलसचिव" को ही संबोधित किया जाये किसी अधिकारी के व्यक्तिगत नाम से नहीं । पूर्व सन्दर्भ यदि हो तो, देना आवश्यक हैं अन्यथा कोई कार्यवाही संभव नहीं होगी ।

दूरभाष : 2529540,2527532
तार : यूनिव्हर्सिटी
फेक्स : 0731–2529540

देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर

विश्वविद्यालय भवन
इन्दौर–452 001

क्रमांक : परीक्षा / सामान्य / 2020 3073

दिनांक : 11 JUN 2020

प्रति ,
प्राचार्य,
समस्त शासकीय / अनुदान प्राप्त / अशासकीय महाविद्यालय,
इन्दौर संभाग, इन्दौर

विषयः– विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित माह जुलाई–अगस्त 2020 परीक्षाओं में कोविड–19 के संकट के चलते परीक्षा केन्द्रो एवं परीक्षार्थीयों के लिये दिशा निर्देश।

देवी अहिल्या विश्वविद्यालय द्वारा आगामी जुलाई–अगस्त तथा उसके उपरान्त आयोजित की जाने वाली समस्त परीक्षाओं के लिये कोविड–19 के संकट के चलते परीक्षा केन्द्रो एवं विद्यार्थीयों के लिये दिशा निर्देश प्रकाशित किये जा रहे है। दिशा निर्देशो के अनुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें।

परीक्षा नियंत्रक

पृष्ठांकन क्रमांकः परीक्षा / सामान्य / 2020 3073

दिनांक 11 JUN 2020

प्रतिलिपि :–

1. अतिरिक्त संचालक, उच्चशिक्षा , इन्दौर संभाग, मोती तबेला, इन्दौर
2. श्रीमान सम्पादक महोदय, दैनिक ------------------------------------इन्दौर की और भेजकर निवेदन है कि वे इस समाचार को अपने लोकप्रिय समाचार पत्र में समाचार वृत्त के रूप मे निःशुल्क प्रसारित कर अनुग्रहीत करें।
3. प्रधानाचार्य / प्रधानाचार्या, विश्वविद्यालय से सम्बद्ध सभी संबंधित महाविद्यालय जिला इन्दौर, धार, झाबुआ, खण्डवा, खरगोन, बड़वानी, बुरहानपुर, अलीराजपुर इस निवेदन के साथ अग्रेषित कि वे कृपया संबंधित परीक्षार्थियों को इससे अवगत कराने की समुचित व्यवस्था करें।
4. संकायाध्यक्ष, छात्रकल्याण, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर
5. कुलपतिजी के सचिव / कुलसचिव के निज सहायक
6. प्रभारी, परीक्षा / गोपनीय कंट्रोल रूम / लेखा / प्रशासन / शैक्षणिक / विकास / मुद्रणालय / केन्द्रीय कार्यालय / विभाग के संबंधित सहायक, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर
7. प्रभारी नेट. आई.टी. सेन्टर / प्रभारी एम.पी. आनलाइन, आय.आय.पी.एस., दे.अ.वि.वि. इन्दौर ।
8. वरीष्ठ, समन्वयक, केन्द्रीय मूल्यांकन केन्द्र, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर
9. पूछताछ कक्ष, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर

की और सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

उपकुलसचिव (परीक्षा)

D/Shiva Rana/Letter/010319

विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित माह जुलाई–अगस्त 2020 परीक्षाओं में कोविड–19 के संकट के चलते परीक्षा केन्द्रो एवं परीक्षार्थीयों के लिये दिशा निर्देशः–

1. परीक्षा केन्द्र पर वरिष्ठ केन्द्राध्यक्ष प्रत्येक परीक्षा कक्ष में विद्यार्थियो के मध्य सामाजिक दूरी (Social Distance) की व्यवस्था सुनिश्चित करेगें।
2. परीक्षा केन्द्र मे प्रवेश करने के पूर्व प्रत्येक वरिष्ठ केन्द्राध्यक्ष, केन्द्राध्यक्ष सहायक केन्द्राध्यक्ष विक्षक एवं परीक्षार्थी एवं स्टाफ का थर्मेल गन द्वारा तापमान मापने के पश्चात् ही प्रवेश दिया जावेगा।
3. परीक्षा केन्द्र में उपस्थित प्रत्येक वरिष्ठ केन्द्राध्यक्ष, केन्द्राध्यक्ष, सहायक केन्द्राध्यक्ष, विक्षक एवं परीक्षार्थी एवं स्टाफ को मास्क पहनना अनिवार्य होगा।
4. विक्षको को परीक्षा कक्ष में हेन्ड ग्लोब्ज पहनना भी अनिवार्य होगा।
5. प्रत्येक परीक्षा के कक्ष के बाहर सेनेटाइज/साबुन/पानी की व्यव्स्था करनी होगी।
6. परीक्षा प्रारंभ होने के पूर्व प्रत्येक परीक्षा कक्ष का सेनेटाइजेंशन करवाना अनिवार्य होगा।
7. प्रत्येक विद्यार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के एक घंटा पूर्व उपस्थित होना होगा।
8. विद्यार्थीयों को अपने साथ सेनेटाइजर रखने की अनुमति होगी।
9. यदि परीक्षार्थी का तापमान निर्धारित मापदंडो से अधिक आता है तो उसे पृथक कमरे मे परीक्षा करवाने की व्यवस्था करनी होगी।
10. परीक्षा केन्द्र मे कुछ अतिरिक्त मास्क, ग्लोबज एवं सेनेटाइजर की व्यवस्था भी करके रखनी होगी।
11. परीक्षा केन्द्र मे प्रवेश करने के पूर्व प्रत्येक वरिष्ठ केन्द्राध्यक्ष, केन्द्राध्यक्ष सहायक केन्द्राध्यक्ष विक्षक एवं परीक्षार्थी को अपने मोबाइल फोन में आरोग्य सेतू एप डाउनलोड करना अनिवार्य होगा।
12. कन्टेनमेंट जोन में यदि कोई परीक्षा केन्द्र निर्धारित है अथवा परीक्षा के दौरान वह क्षेत्र कन्टेनमेंट एरीया घोषित होता है तथा परीक्षा केन्द्र/संस्था को नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण से संक्रमीत व्यक्तीयों के लिये Quarantine center सेन्टर बनाया गया है तो परीक्षा केन्द्र विश्वविद्यालय को तुरंत सूचना देगें।
13. परीक्षा प्रारंभ होने के पूर्व संबंधित थाने में रख प्रश्नपत्रो का भोतिक सत्यापन कराकर यह सुनिश्चित कर लिया जाए की प्रश्नपत्र पर्याप्त मात्रा में है एवं उनकी गोपनीयता भंग नही हुई है।
14. यदि किसी विपरित परिस्थितियों में कोई परीक्षार्थी आपके परीक्षा केन्द्र में परीक्षा देने आता जिसका वह परीक्षा केन्द्र नही है तो उसे भी आपके केन्द्र पर परीक्षा में सम्मिलित होने की व्यवस्था करें। इन विधार्थीयों की उत्तरपुस्तिका पृथक लिफाफे में मूल्यांकन केन्द्र भिजवाने का कष्ट करें।
15. समस्त परीक्षा केन्द्र समीप के स्वास्थ केन्द्र/अस्पताल से संपर्क स्थापित रखेगें जिससे आपातकालीन परिस्थिति में परीक्षार्थी/स्टाफ को मेडीकल सहायता प्रदान की जा सके।